(4)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 82/2021 **दायर दिनांकः 14.10.2021**

उनवान

1. बरदीबाई पत्नि प्रताप जाति कुम्हार निवासी गादिया तहसील सुनेल
2. सोहनबाई पुत्री प्रताप जाति कुम्हार निवासी गादिया तहसील सुनेल

— वादीगण

बनाम

1. गोपाल पिता किशन जाति कुम्हार निवासीगण गादिया तहसील सुनेल
2. अशोक पिता गोपाललाल जाति कुम्हार निवासीगण गादिया तहसील सुनेल
3. बालचन्द पिता गोपाललाल जाति कुम्हार निवासीगण गादिया तहसील सुनेल
4. भगवतीबाई पत्नि बालचन्द जाति कुम्हार निवासीगण गादिया तहसील सुनेल
5. रतनबाई पत्नि अशोक जाति कुम्हार निवासीगण गादिया तहसील सुनेल
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति —
वकील वादीगण — श्री नीलकमल त्रिवेदी
वकील प्रतिवादीगण — एकतरफा

निर्णय **दिनांक : 06.02.2025**

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वाके ग्राम गादिया पटवार हल्का गादिया तहसील सुनेल मे खाता संख्या—265 की कुल किता 5 कुल रकबा 1.7832 हैक्टेयर आराजी है जो वादीगण के खातेदारी मे है एवं खाता संख्या 34 की कुल किता 3 कुल रकबा 0.0758 हैक्टेयर आराजी है जिसमे वादीगण का 1/3 हिस्सा निहित है। यह कि वाद के पैरा नम्बर 1 में वर्णित आराजी में से खाता संख्या 265 के खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.7588 हैक्टेयर आराजी है इस आराजी के पश्चिम दिशा में प्रतिवादीगण का खसरा नम्बर 832/331 है जिसमे प्रतिवादीगण ने वादीगण के खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:07:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज॰)

Scanned with OKEN Scanner

(5)

834/331 की 9 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है जिसे वह छोड नहीं रहे है इसलिए वादीगण को यह वाद माननीय न्यायालय मे पेश करना पड रहा है। यह कि प्रतिवादीगण ने वादीगण के खसरा नम्बर 834/331 के पश्चिम दिशा की 9 बिस्वा भूमि पर जबरन अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया तथा कब्जा छोडने की कहने पर लडाई झगडा करते है व मारपीट करने पर उतारू होते है थाने मे राजीनामा करने पेमाईश करवाने के बाद भी अतिकमी प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी पर से कब्जा छोड ने को तैयार नहीं है। इसलिए वादीगण माननीय न्यायालय के माध्यम से अपनी 9 बिस्वा भूमि का प्रतिवादीगण से कब्जा लेने के अधिकारी है। यह कि खसरा नम्बर 835/331 रकबा 0.0379 हैक्टेयर आराजी सभी खातेदार के रास्ते के उपयोग के लिए खाते मे से छोड रखी है लेकिन इस भूमि पर भी प्रतिवादीगण ने पेड लगा दिये तथा रास्ते की भूमि पर भी अतिक्रमण कर लिया है जिस पर से भी वादीगण कब्जा हटवाने व पेड हटवाने के अधिकारी है। यह कि वाद कारण दिनांक 10.06.2020 को उस समय उत्पन्न हुआ जब वादीगण ने पेमाईश करवाई और उसमे प्रतिवादी के पास वादीगण की जमीन कब्जे मे पाई तथा प्रतिवादीगण कब्जा छोडने को तैयार नही हुऐ तो वाद कारण उत्पन्न हुआ। यह कि वाद वादीगण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से अवधि मध्य, उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिकी पारित किया जावे।

(अ) ग्राम गादिया पटवार हल्का गादिया तहसील सुनेल की आराजी खूसरा नम्बर 834/331 रकबा 0.7588 हैटैयर की पश्चिम दिशा के 9 बिस्वा भूमि पर से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या 6 के माध्य से वादीगण को दिलाया जावे।

(ब) ग्राम गादिया पटवार हल्का गादिया तहसील सुनेल की आराजी खसरा नम्बर 835/331 रकबा 0.0379 हैटैयर आराजी पर से पेड हटवाये जाकर रास्ते का अतिक्रमण प्रतिवादी संख्या 6 के माध्य मे हटाया जावे।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो वादीगण के पक्ष मे हो दिलाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:07:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया परन्तु प्रतिवादीगण की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं हुआ जिससे मुताबिक आदेशिका दिनांक 17.05.2024 प्रतिवादी सं. 1 से 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

3. वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम गादिया का खाता सं. 34, 265 की जमाबंदी सं. 2074–77 की प्रमाणित प्रति, खसरा गिरदावरी खाता सं. 265, 34 की नकल, नक्शा ट्रेस दिनांक 19.07.2024 नकल प्रदर्श 1 से 6 पेश की एवं मौका एवं पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 10.06.2020, बंटवारा प्रपत्र, थाना सुनेल में पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 26.06.2020, बयान दिनांक 30.06.2020, समझौता निर्णय दिनांक 26.06.2020 की छायाप्रति प्रस्तुत की। साक्ष्यवादी में सोहनबाई व करणसिंह के PW-1 To 2 के शपथपत्र/बयान कराये गये।

4. अभिभाषक वादीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम गादिया की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 265 किता 5 रकबा 1.7832 है. भूमि में वादीगण के शामलाती खाते दर्ज रिकार्ड है। उक्त खाता सख्या के ख.नं. 834/331 रकबा 0.7588 है. भूमि पर वादीगण का शांतिपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा था लेकिन जून 2020 में प्रतिवादीगण ने वादीगण की पश्चिम दिशा की करीब 0–09 बीघा भूमि पर बलपूर्वक अतिक्रमण कर अवैध कब्जा कर अपनी भूमि ख.नं. 832/331 में मिला लिया है। वादीगण ने जब प्रतिवादीगण अवैध कब्जा छोडने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादीगण लडाई झगडा व मारपीट पर उतारू हुए और वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द करने की धमकी देने लगे। इसी प्रकार ग्राम गादिया के खाता सं. 34 किता 3 रकबा 0.0758 है. भूमि में वादीगण, प्रतिादी सं. 1 व अन्य की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/3 है। उक्त खाता सं. 34 के ख.नं. 835/331 रकबा 0.0379 है. भूमि को सभी खातेदारान ने आपसी सहमति से रास्ते के उपयोग के [illegible] छोड रखा था परन्तु उक्त रास्ते की भूमि पर भी प्रतिवादीगण ने [illegible] लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण से उक्त [illegible] भूमि को छोडने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:07:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

एवं पेडो को हटाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की भूमि पर बिना किसी विधिक प्राधिकार के जबरदस्ती बलपूर्वक वादीगण की भूमि पर कब्जा किया है। पुलिस थाना सुनेल में राजीनामा करने व पैमाईश करवाने के बाद भी प्रतिवादीगण उक्त भूमि का कब्जा छोडने को तैयार नहीं है। अतः प्रतिवादीगण अतिकमी होने से बेदखल किये जाने योग्य है। अभिभाषक वादीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि प्रतिवादी सं. 1 से 5 का बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होना इस तथ्य को साबित करता है कि प्रतिवादीगण अतिकमी है और उनके पास न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु कोई साक्ष्य नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि ग्राम गादिया ख.नं. 834/331 रकबा 0.7588 हैक्टेयर की पश्चिम दिशा के 9 बिस्वा भूमि पर से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाया जावे एवं ग्राम गादिया के ख.नं. 835/331 रकबा 0.0379 है. आराजी पर से पेड हटवाये जाकर रास्ते का अतिक्रमण हटाया जावे।

5. पेरोकार सरकार तहसीलदार सुनेल द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि वादीगण अपना अनुतोष स्वयं साबित करे और यदि न्यायालय नियमानुसार वादीगण का अनुतोष दिया जावे तो पेरोकार सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

6. अभिभाषक वादीगण एवं परोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम गादिया की आराजी खाता सं. 265 किता 5 रकबा 1.7832 है. भूमि की हाल जमाबंदी सं. 2074-77 के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि वादीगण के खाते दर्ज रिकार्ड है। वादीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार कृषक है। वादीगण द्वारा पेश ग्राम गादिया की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 265 की गिरदावरी सं. 2077 प्रदर्श 3 के अनुसार वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी ख.नं. 834/331 रकबा 0.7588 है. भूमि में चना की फसल काश्त किया जाना अंकित है। वादीगण द्वारा पेश मौका व पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 10.06[illegible] की छायाप्रति के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम गादिया [illegible] में वादीगण की पूर्वी मेड पर नानूराम [illegible] की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:07:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

ओर आधा गट्ठा जमीन एवं पश्चिमी मेड पर गोपाल पि. किशन की ओर 4 गट्ठा भूमि निकलती है। वादीया बरदीबाई द्वारा दिनांक 26.06.2020 को पुलिस थाना सुनेल में पेश रिपोर्ट से भी जाहिर होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की वादग्रस्त भूमि में 9 बिस्वा भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है एवं मना करने पर लडाई झगडा करने पर उतारू है। प्रतिवादी सं. 1 से 5 द्वारा बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने से भी प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि प्रतिवादी सं. 1 से 5 को अपने पक्ष में कोई जवाब/साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं करना है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा बिना किसी विधिक प्राधिकार/आदेश के वादीगण की वादग्रस्त आराजी के रकबा 0–09 बीघा पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जा करना जाहिर होता है।

7. वादीगण द्वारा अपने समर्थन में पेश गवाह PW-2 करणसिंह पि. हरलाल द्वारा सशपथ कथन किया गया है कि वादीगण की ग्राम गादिया की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 834/331 रकबा 0.7588 है. की पश्चिम दिशा में प्रतिवादीगण ने लगभग 9 बिस्वा भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है और कब्जा छुडाने के लिए प्रतिवादीगण से कहा तो वह लडाई झगडा करने पर उतारू हुए और कहा कि हम कब्जा नहीं छोडेगे। प्रतिवादीगण ने वादीगण की 9 बिस्वा भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है। वादी PW-1 ने भी अपने सशपथ बयान में उक्त कथनों को दोहराया है।

8. इसी प्रकार ग्राम गादिया की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 34 के ख.नं. 835/331 की हाल जमाबंदी सं. 2074–77 के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि वादीगण, प्रतिवादी सं. 1 व अन्य के सहखाते दर्ज रिकार्ड है जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/3 दर्ज है। वादग्रस्त आराजी की किस्म माल प्रथम है और मुताबिक गिरदावरी सं. 2077 प्रदर्श 4 के अनुसार इसमें वादीगण, प्रतिवादी सं. 1 व अन्य सह खातेदारान द्वारा सोयाबीन की फसल काश्त किया जाना अंकित है। अतः ख.नं. 834/331 गे.मु.रास्ता न होकर काबिल काश्त कृषि भूमि है। यह अभिनिर्धारित तथ्य है कि सहखाते की आराजी पर प्रत्येक सहखातेदार का समान हक व अधिकार होता है। वादीगण द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 एवं अन्य सहखातेदारान द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:07:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(9)

आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी ख.नं. 835/331 को सभी खातेदारो के उपयोग हेतु रास्ते के रूप में छोडा गया हो और प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर पेड लगा दिये गये हो।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तथ्य निर्विवादित है कि वादीगण वादग्रस्त आराजी ख.नं. 834/331 रकबा 0.7588 है. के रिकार्डेड खातेदार कृषक है और सं. 2077 में कब्जा काश्त थे जिस पर प्रतिवादी सं. 1 से 5 ने बिना किसी कानूनी प्राधिकार (lawful authority) के करीब 0–09 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जा कर लिया है और इसलिए बेदखल किये जाने योग्य है। ग्राम गादिया के ख.नं. 835/331 रकबा 0.0379 है. के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर पेड लगाना साबित नहीं है।

10. यहां धारा 183 आर.टी.एक्ट का प्रावधानो का अवलोकन करना उचित होगा– **<u>183. Ejectment of certain trespasser—</u>** (1) Not withstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provision contained in sub-section (2), on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.

11. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम गादिया की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 834/331 रकबा 0.7588 है. के संबंध में वादीगण का वाद धारा 183, 209 आर.टी.एक्ट [illegible] योग्य एवं आराजी ख.नं. 835/331 रकबा 0.0379 है. के संबंध में [illegible] खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:07:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज॰)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम गादिया की वादग्रस्त आराजी के संबंध में वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं. 6 तहसीलदार सुनेल को आदेशित किया जाता है कि वादीगण की ग्राम गादिया की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 834/331 रकबा 0.7588 है. में से अतिक्रमित 0–09 बीघा भूमि से प्रतिवादी सं. 1 से 5 को बेदखल कर वादीगण को शीघ्र कब्जा सौपा जावे। प्रतिवादी सं. 1 से 5 को पाबंन्द किया जाता है कि वे वादीगण की उक्त भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें।

यह निर्णय आज दिनांक 06.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:07:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(11)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 82/2021 दायर दिनांक: 14.10.2021

उनवान

1. बरदीबाई पत्नि प्रताप जाति कुम्हार निवासी गादिया तहसील सुनेल
2. सोहनबाई पुत्री प्रताप जाति कुम्हार निवासी गादिया तहसील सुनेल

— वादीगण

बनाम

1. गोपाल पिता किशन जाति कुम्हार निवासीगण गादिया तहसील सुनेल
2. अशोक पिता गोपाललाल जाति कुम्हार निवासीगण गादिया तहसील सुनेल
3. बालचन्द पिता गोपाललाल जाति कुम्हार निवासीगण गादिया तहसील सुनेल
4. भगवतीबाई पत्नि बालचन्द जाति कुम्हार निवासीगण गादिया तहसील सुनेल
5. रतनबाई पत्नि अशोक जाति कुम्हार निवासीगण गादिया तहसील सुनेल
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति —
वकील वादीगण — श्री नीलकमल त्रिवेदी
वकील प्रतिवादीगण — एकतरफा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X.............. रूबरू..............X..............................

मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

ग्राम गादिया की वादग्रस्त आराजी के संबंध में वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं. 6 तहसीलदार सुनेल को आदेशित किया जाता है कि वादीगण की ग्राम गादिया की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 834/331 रकबा 0.7588 है. में से अतिक्रमित 0—09 बीघा भूमि से प्रतिवादी सं. 1 से 5 को बेदखल कर वादीगण को शीघ्र कब्जा सौपा जावे। प्रतिवादी सं. 1 से 5 को पाबंन्द किया जाता है कि वे वादीगण की उक्त भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:07:50 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

12

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशरह ......X..फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X....... .... अदा करूंगा।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 06.02.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:07:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner